CORONER WINDLEY के क्राइस्टचर्च मस्जिदैन के हमले के संबंध में 51 लोगों की मृत्यु की कॉरोनियल पूछताछ के कार्यक्षेत्रके बारे में फैसले में सहायता।

# कार्यक्षेत्र निर्णय का उद्देश्य और पृष्ठभूमि

पूछताछ के लिए मुद्दों के कार्यक्षेत्र के बारे में Coroner Windley का फैसला (कार्यक्षेत्र निर्णय) 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिदैन पर हमले के परिणामस्वरूप मरने वाले 51 लोगों से संबंधित मुद्दों और उनके कारणों को सूचीबद्ध करता है जिनकी कॉरोनियल अधिकार क्षेत्र में जाँच की जाएगी।

कार्यक्षेत्र निर्णय दिसंबर 2020 में मुख्य कॉरोनर, न्यायाधीश मार्शल द्वारा हमले से सबसे अधिक प्रभावित लोगों की चिंता के उन मुद्दों की पहचान करने के लिए शुरू की गई एक लंबी प्रक्रिया के बाद आया है, जिन पर कॉरोनियल अधिकार क्षेत्र के अधीन पूछताछ की जा सकती है और करनी चाहिए। उस प्रक्रिया में न्यायाधीश मार्शल की 28 अक्टूबर 2021 की टिप्पणी थी जिसने उन 56 मुद्दों को सूचीबद्ध किया जिन पर विचार करने के लिए उनसे कहा गया था। इसमें इस बारे में भी एक अस्थायी विचार था कि उनके अनुसार कॉरोनियल पूछताछ में किन मुद्दों पर औपचारिक जाँच की जा सकती हैं और करनी चाहिए। Coroner Windley ने नवंबर 2021 में पूछताछ की जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद मुद्दों के बारे में आगे के लिखित सबिमशन प्राप्त किए गए। 22 – 24 फरवरी 2022 के बीच एक सुनवाई आयोजित की गई जिसमें Coroner Windley ने कार्यक्षेत्र के बारे में अतिरिक्त मौखिक सबिमशनों को सुना।

15 मार्च 2019 को हुई नृशंसता और इसके साथ ही इस पूछताछ की प्रकृति और परिमाण न्यूजीलैंड में अभूतपूर्व थे। यह पूछताछ इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि इसने आपराधिक अभियोग और रॉयल पूछताछ कमीशन (**रॉयल कमीशन**) का अनुसरण किया है, जिनसे भविष्य में हमलों की रोकथाम करने के लिए अनुशंसाओं के साथ-साथ हमले की जाँच करने और निष्कर्ष निकालने का विस्तृत आदेश दिया गया था।

वर्तमान में ऐसे 119 लोग और संगठन हैं जिन्हें कॉरोनियल पूछताछ में संबद्ध पक्षों के रूप में औपचारिक स्थिति प्राप्त है। इन संबद्ध पक्षों में शामिल हैं, मरने वालों के करीबी परिवार के सदस्य, वे लोग जो गोली लगने से जख्मी हुए थे या जो अन्यथा हमले के गवाह थे, और वे संगठन जिन्हें प्रभावित समुदाय के बृहत्तर हितों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई है।

उच्च स्तरीय बातचीत और संबद्ध पक्षों से प्राप्त हुए विस्तृत सबिमशन, कार्यक्षेत्र पर इस फैसले के विशेष महत्व का प्रमाण है।

# कार्यक्षेत्र निर्णय किन चीजों को व्याप्त करता है?

कार्यक्षेत्र निर्णय निम्नलिखित का वर्णन करता है:

- कॉरोनियल पूछताछ के लिए हमले पर की गई अन्य जाँचों का संदर्भ और प्रासंगिकता जो पहले ही की जा चुकी हैं, यानी आपराधिक अभियोग और रॉयल कमीशन;
- कॉरोनर अधिनियम 2006 के प्रासंगिक अंश और केसलॉ सिद्धांत जो कॉरोनर की यह फैसला करने में मदद करते हैं कि कॉरोनियल पूछताछ क्या कर सकती हैं और उसे क्या देखना चाहिए;
- उन अस्थायी मुद्दों का आकलन करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण जिन पर संबद्ध पक्षों ने कॉरोनर से जाँच करने के लिए कहा है; और
- कॉरोनियल पूछताछ किन मुद्दों की जाँच करेगी, और क्यों।

<sup>1</sup> इस सहायता का उद्देश्य कार्यक्षेत्र निर्णय के मुख्य पहलुओं को समझने में संबद्ध पक्षों और अन्य लोगों की सहायता करना है। कार्यक्षेत्र निर्णय कार्यक्षेत्र के मुद्दे पर Coroner Windley का औपचारिक फैसला है और कार्यक्षेत्र निर्णय और इस सहायता के बीच किसी भी विसंगति के मामले में कार्यक्षेत्र निर्णय को सभी प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी।

कॉरोनर अधिनियम 2006 कॉरोनियल पूछताछ के प्रयोजनों को स्थापित करता है; कॉरोनियल पूछताछ को किन मुद्दों पर विचार करना चाहिए इसका फैसला करने के लिए ये प्रयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस पूछताछ के लिए सबसे प्रासंगिक प्रयोजन हैं:

- (यदि संभव हो तो) मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का कारण, और उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को स्थापित करना; और
- (धारा 57ए के अनुसार) ऐसी टिप्पणियाँ या अनुशंसाएं करना जो ऐसी ही परिस्थितियों और कोई मृत्यु होने की संभावना को कम कर सकती हैं।

कॉरोनर के पास जाँचे जाने वाले मुद्दों का फैसला करने का विस्तृत अधिकार होता हैं। मृत्यु से संबंधित हर एक मामला कॉरोनर के जाँच करने का मामला नहीं होगा; किसी बिंदु पर रेखा खींचना आवश्यक है। हो सकता है कुछ चीजें मृत्यु का कारण न हों या उन्होंने उसमें उल्लेखनीय तरीके से योगदान न किया हो। कॉरोनर ने निश्चय करना चाहिए कि पूछताछ के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने के लिए क्या आवश्यक, वाँछित और आनुपातिक है।

उठाए गए मुद्दों को जिस हद तक पिछले आपराधिक अभियोग या रॉयल कमीशन की प्रक्रियाओं में पहले से जाँचा जा चुका है, वह कॉरोनर के द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल करने में विचारणीय कारक है। लेकिन यह एक कारक है जिसका संबद्ध पक्षों द्वारा कॉरोनर के पास इस विषय पर किए गए सबिमशनों का गठन करने पर अपिरहार्य रूप से शक्तिशाली प्रभाव है कि पूछताछ का कार्यक्षेत्र क्या होनी चाहिए। कुछ संबद्ध पक्षों ने इस तथ्य को लेकर विशेष चिंता प्रकट की है कि रॉयल कमीशन की जाँच अधिकांश तौर पर गुप्त रूप से की गई है और कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रमाण पर लागू होने वाले आदेशों के साथ, वे रॉयल कमीशन के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में मौजूद प्रमाण को देखने और उस पर विचार करने में असमर्थ रहे हैं और महसूस करते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है।

इस पूछताछ के लिए रॉयल कमीशन की प्रासंगिकता कार्यक्षेत्र की सुनवाई में विस्तृत चर्चा का विषय थी और कार्यक्षेत्र निर्णय में इसी तरह से विस्तार से जाँची गई है।

# किन मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी?

मृत्यु का(के) कारण- कार्यक्षेत्र में है

प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का(के) कारण वह मामला होगा जिस पर कॉरोनर को (यदि संभव हो तो) निष्कर्ष निकालना होगा और इसलिए वह पूछताछ के लिए अपने आप एक मुद्दा बन जाएगा।

हमले के शुरू होने से लेकर आपात्कालीन प्रतिक्रिया के पूरे होने तक की घटनाएं - कार्यक्षेत्र में हैं

कुछ मुद्दों पर जो मृत्यु की बृहत्तर परिस्थितियों से पर्याप्त रूप से संबंधित हैं लेकिन जिन पर रॉयल कमीशन द्वारा विचार नहीं किया गया और जिन्हें आपराधिक अभियोग में सीमित ढंग से व्याप्त किया गया था, कॉरोनियल पूछताछ के हिस्से के रूप में जाँच की जाएगी। इसमें 15 मार्च 2019 को हमले से शुरू करते हुए आपात्कालीन प्रतिक्रिया के समापन तक की घटनाएं और पुलिस द्वारा श्री टैरेंट का औपचारिक इंटरव्यू शामिल है। इस समयाविध के भीतर जाँच के मुद्दों में शामिल होगा: क्या श्री टैरेंट ने उस दिन अन्य लोगों से कोई मदद ली थी, आपात्कालीन प्रतिक्रिया के प्रयास, और क्या वह प्रतिक्रिया ने मरने वालों के बचने की संभावना को प्रभावित कर सकती थी।

श्री टैरैंट का फायरआर्म लाइसेंस - कार्यक्षेत्र में है

श्री टैरेंट ने फायरआर्म लाइसेंस कैसे हासिल किया इस बात को संबद्ध पक्षों के लिए विशेष सरोकार के मुद्दे के रूप में पहचाना गया था और कॉरोनर द्वारा इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। इस मुद्दे और फायरआर्म लाइसेंसिंग कानून और प्रक्रियाओं की रॉयल कमीशन द्वारा जाँच की गई थी। हालांकि, श्री टैरेंट के फायरआर्म लाइसेंस और वह कैसे 51 मौतों का कारण बना इसके बीच कड़ी के बारे में स्रोतजन्य प्रमाण अभी तक संबद्ध पक्षों के देखने और विचार करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है लेकिन अब कॉरोनियल पूछताछ के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि फायरआर्म लाइसेंस और हमले के बीच

कड़ी स्थापित की जा सकती है, तो इससे कॉरोनर को यह भी आकलन करने की अनुमति मिलेगी कि रॉयल कमीशन द्वारा की गई प्रासंगिक अनुशंसाओं को लागू करने में क्या प्रगति हुई है।

सोशल मीडिया/ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग के माध्यम से श्री टैरैंट का कट्टरपंथी बनना - कार्यक्षेत्र में है

श्री टैरेंट के कट्टरपंथी बनने में सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने जिस हद तक योगदान किया यह बात भी एक मुद्दा है जिसे संबद्ध पक्षों ने विशेष चिंता के रूप में पहचाना है। श्री टैरेंट द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जाँच रॉयल कमीशन द्वारा की गई हालांकि इसमें निजी सोशल मीडिया या ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदाताओं की जाँच को शामिल नहीं किया गया। पुलिस और रॉयल कमीशन द्वारा जाँच में हमले से दो वर्ष पहले की अविध पर ध्यान दिया गया और इससे श्री टैरेंट की ऑनलाइन गतिविधि के पुनर्निर्माण में सीमित सफलता मिली, क्योंकि अत्यिधक संभावना है कि उन्होंने उस गतिविधि को छिपाने का प्रयास किया था। हालांकि, इस बात का सुझाव देने वाला प्रमाण है कि वे 2017 तक कट्टरपंथी बन चुके थे।

कॉरोनर ने यह पूछताछ करने का निश्चय किया है कि क्या इस बात का प्रमाण है कि श्री टैरैंट अपनी ऑनलाइन गितविधि के माध्यम से कट्टरपंथी बन गए थे, जिसमें 2014 और 2017 के बीच की अविध पर खास ध्यान देना होगा जिसकी अभी तक जाँच नहीं की गई है। ऐसा करते समय, कॉरोनर द्वारा स्पष्ट रूप से सचेत किया जाता है कि जबिक इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमले के पहले के वर्षों में श्री टैरैंट गंभीर रूप से कट्टरपंथी बन गए थे, हो सकता है कि यह कभी निश्चित न किया जा सकेगा कि उनके संबंध में काम करने वाले कारकों का असली संयोजन और प्रभाव क्या था। कॉरोनर द्वारा इस बात को लेकर पूछताछ नहीं की जा सकती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरह से संचालित, या विनियंत्रित किए जाते हैं। रॉयल कमीशन ने श्री टैरैंट के कट्टरपंथी बनने से (और इसलिए हमले के साथ) पर्याप्त (और परिमाण करने योग्य) रूप से जुड़े किसी भी विशिष्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या प्रभाव का पता लगाने की जो कोशिश की उससे अधिक खोज करने के किसी भी प्रयास को सबूत के संबंध में विकट चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो भी हो, अतिरिक्त पूछताछ किए बगैर पर्याप्त कारणात्मक लिंक का पता लगाने की संभावना को अभी नकारा नहीं जा सकता है। पूछताछ के दौरान इस मुद्दे पर एक प्रगतिशील दृष्टकोण अपनाया जाएगा। श्री टैरैंट की ऑनलाइन गतिविधि की अधिक पूर्ण तस्वीर मिल जाने पर, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या वह उनके कट्टरपंथी बनने के कारण के रूप में आवश्यक लिंक मानी जा सकती है, इस विषय पर आगे विचार किया जाएगा कि क्या पूछताछ के इस पहलू को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं।

समुदाय के अन्य लोगों में हिंसक उग्रवाद के जोखिम की पहचान और उसके प्रति प्रतिक्रिया - कार्यक्षेत्र में है

रॉयल कमीशन ने टिप्पणी की थी कि श्री टैरेंट को संभवतः रूप से रोकने के (अपेक्षाकृत चंद) तरीकों में से एक यह था कि यदि किसी ने इस बात के संकेत देखे होते कि वे हिंसक रूप से कट्टरपंथी बन गए थे और हस्तक्षेप किया होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कॉरोनर द्वारा उस प्रतिरक्षा पंक्ति पर विचार किया जाएगा जिसे बृहत्तर समुदाय भविष्य में इसके निवारण के लिए प्रदान कर सकेगा। पूछताछ का यह पहलू वास्तविक या संभावित रूप से कट्टरपंथी बनने के संकेतों और/लक्षणों के बारे में जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करेगा, जिससे कोई व्यक्ति या समुदाय प्रभावित हो सकता है, और एक व्यावहारिक स्तर की खोज करेगा कि किसी जाने-पहचाने व्यक्ति में हिंसक उग्रवाद के जोखिम की पहचान होने पर लोग या समुदाय के समूह कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।

जासूसी और आतंकवाद-विरोधी एजेंसियों द्वारा चूके गए अवसर- कार्यक्षेत्र से बाहर हैं

संबद्ध पक्षों ने कोरोनर से खास तौर पर इस बात की जाँच करने के लिए कहा है कि क्या जासूसी और आतंकवाद-विरोधी एजेंसियों ने हमले की रोकथाम करने के अवसर हाथ से जाने दिए थे। इस मुद्दे पर रॉयल कमीशन ने भी विस्तार से विचार किया था और यह निष्कर्षों और अनुशंसाओं, दोनों का विषय था। कॉरोनर ने इसे पूछताछ के मुद्दों से बाहर रखने का फैसला किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस मुद्दे के लिए प्रमुख प्रमाण की सुरक्षा के लिए संवेदनशील प्रकृति की वजह से यह संभव है कि कॉरोनियल पूछताछ संबद्ध पक्षों को उस प्रमाण तक अधिक एक्सेस प्रदान नहीं कर सकेगी। कॉरोनर इस बात पर भी अन्यथा राजी नहीं है कि कॉरोनियल अधिकार क्षेत्र में की गई पूछताछ मुद्दे को निष्कर्षों और अनुशंसाओं की दृष्टि से आगे बढ़ाएगी।

अत्यधिक अटकल भरे या असंबद्ध मुद्दे - कार्यक्षेत्र के बाहर हैं

कॉरोनर ने फैसला किया है कि कुछ मुद्दे अत्यधिक अटकल भरे, मृत्यु के कारण या परिस्थितियों से असंबद्ध हैं, या उन्हें इस अधिकार क्षेत्र में उपयुक्त पूछताछ में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रा के माध्यम से श्री टैरैंट का कट्टरपंथी बनना, प्रमुख सरकारी एजेंसियों में संस्थागत पूर्वाग्रह के बारे में चिंताएं, सामाजिक एकजुटता, और न्यूजीलैंड की आप्रवासन नीति शामिल है। मृत्यु के बाद के मामलों से संबंधित अन्य मुद्दों को पूछताछ से अपवर्जित किया गया है क्योंकि वे कॉरोनर के कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

# कार्यक्षेत्र में मौजूद मुद्दों का सारांश

कार्यक्षेत्र निर्णय का परिशिष्ट एउस प्रत्येक मुद्दे का विस्तार से वर्णन करता है जिनकी पूछताछ के कार्यक्षेत्र के भीतर होने की पुष्टि की गई है और, जहाँ लागू होता है, उस मुद्दे को उन अस्थायी मुद्दों के साथ संदर्भित करता है जिन पर विचार करने के लिए संबद्ध पक्षों ने सबिमशन दाखिल किए हैं, जैसा कि न्यायाधीश मार्शल की अक्टूबर 2021 की टिप्पणी में वर्णित है।

सारांश में, निम्नलिखित मुद्दों के कॉरोनियल पूछताछ की कार्यक्षेत्र में होने की पुष्टि की गई है और उन पर जाँच की जाएगी:

- हमले के परिणामस्वरूप मरने वाले 51 लोगों में से प्रत्येक की मृत्यु का(के) कारण।
- 15 मार्च 2019 को हमले से शुरू करते हुए आपात्कालीन प्रतिक्रिया के समापन तक की घटनाएं और पुलिस द्वारा श्री टैरैंट का औपचारिक इंटरव्यू। इस समयाविध के भीतर जाँच के मुद्दों में शामिल होगा: क्या श्री टैरैंट ने उस दिन अन्य लोगों से कोई मदद ली थी, और क्या प्रतिक्रिया मरने वालों के बचने की संभावना को प्रभावित कर सकती थी।
- श्री टैरेंट की फायरआर्म लाइसेंसिंग प्रक्रिया, क्या लाइसेंस को हमले से जोड़ा जा सकता है, और यदि ऐसा है, तो इसके बाद से फायरआर्म लाइसेंसिंग व्यवस्था में किए गए किसी भी परिवर्तन के

कार्यान्वयन की स्थिति।

- 2014 और 2017 के बीच की अविध पर विशेष ध्यान के साथ, क्या श्री टैरैंट अपनी ऑनलाइन गतिविधि के जिरये स्पष्ट रूप से कट्टरपंथी बन गए थे।
- समुदाय की अन्य लोगों में हिंसक उग्रवाद की पहचान करने और उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता।

# पूछताछ सुनवाई के अगले कदम और संकेत

कार्यक्षेत्र निर्णय निम्नलिखित अगले कदमों को दर्ज करता है:

- मुद्दों पर फैसला कर लेने के बाद, कॉरोनियल पूछताछ प्रत्येक मुद्दे के बारे में अधिक प्रमाणों की पहचान करने और संबद्ध पक्षों को प्रदान करने के लिए पूछताछ के सारभूत चरण में प्रवेश कर रही है जहाँ यह भी निर्धारित किया जाएगा कि आगे किन जाँचों और प्रमाण की जरूरत है।
- कार्यक्षेत्र निर्णय के परिशिष्ट A के मुद्दे 1-9 जो 15 मार्च 2019 की घटनाओं जिनकी समाप्ति मस्जिदैन हमले में हुई, पुलिस के द्वारा जाँच के प्रारंभिक प्रयासों सिहत उन घटनाओं के प्रति आपात्कालीन प्रतिक्रिया, और मरने वालों के बचाए जा सकने के मुद्दों से संबंधित हैं, कॉरोनियल पूछताछ के हिस्से के रूप में तहकीकात के लिए सुनवाई के विषय बन सकते हैं। इससे इन मुद्दों के संबंध में प्रमाण को वचनबद्धता के अधीन सुनने और परखने का अवसर मिलेगा। पूछताछ की उस सुनवाई के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। तारीख का निर्धारण साधारण पूछताछ-पूर्व सम्मेलन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में समय पर किया जाएगा।
- इस समयिबंदु पर यह ज्ञात नहीं है कि क्या पूछताछ के लिए अन्य मुद्दों का भी एक तहकीकात की सुनवाई के मंच में अन्वेषण करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। सारभूत पूछताछ चरण के आगे प्रगति कर लेने के बाद किसी भी अतिरिक्त तहकीकात की सुनवाइयों के बारे में फैसला किया जाएगा।